टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचे, काश्तकारों को मिले योजनाओं का पूरा लाभ : संभागीय आयुक्त

■ कोटा संभागीय आयुक्त ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की

कोटा, (निसं)। संभागीय आयुक्त राजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि चंबल सिंचित क्षेत्र विकास अंतर्गत संचालित योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो ताकि काश्तकारों को इसका पूरा लाभ मिले और उनका संबलन हो सके। संभागीय आयुक्त मंगलवार को सीएडी अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

संभागीय आयुक्त ने विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और निर्देश दिए कि हमारी प्राथमिकता टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाने की रहे ताकि काश्तकारों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

उन्होंने कहा कि इटावा, केशोरायपाटन और बूंदी के टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए सभी ऐहतियाती कदम समय पर उठाए जाएं। साथ ही, मध्य प्रदेश को दिया जाने वाला पानी भी निर्धारित मात्रा में, निर्धारित समयावधि में पहुंचाया जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि आरएमसी तथा एलएमसी में जल प्रवाह की स्थिति की अलर्ट मोड में मॉनिटरिंग की जाए ताकि काश्तकारों को सिंचाई में कोई परेशानी नहीं आए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कैचमेंट अंतर्गत चयनित ब्लॉक हिंगोनिया, बंजारी और रातड़िया में प्रत्येक काश्तकार को सिंचाई के लिए धोरा सुविधा, आवागमन के रास्ते तथा ड्रेनेज के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह कार्य 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएं।

मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए समयबद्धता से कार्य हों। गत वित्तीय वर्ष की बजट घोषणाओं को 25 जून तक पूर्ण किया जाऐं। जिन कार्यों की टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है उन्हें धरातल पर लाने के लिए 1 अप्रैल से कार्य आवश्यक रूप से शुरू कर दिए जाएं। कम प्रगति वाले कार्यों में संवेदकों के साथ बैठक कर कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए जाएं।

कृषि संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सिंचाई जल का कुशल प्रबंधन एवं वितरण सुनिश्चित हो। नहरों को सुदृढ़ करने एवं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों को समय पर प्रभावी तरीके से संपादित किया जाएं।

संभागीय आयुक्त ने कृषि विस्तार तथा कृषि अनुसंधान इकाई अंतर्गत संचालित योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। पाईपलाईन, मिनी किट, पौध संरक्षण, कृषि यंत्र, आदान व्यवस्था, फार्म पोंड, तारबंदी, फसल प्रदर्शन इत्यादि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। अनुसंधान में नवीनतम फसलों का समावेश, विभिन्न फसलों की उन्नत व अधिकतम पैदावार सर्वेक्षण एवं नियंत्रण सिंचाई जल प्रबंधन, कृषकों की समस्याओं का तकनीकी निदान, भूजल गुणवत्ता की जांच इत्यादि के लिए संबंधित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया।

अधिकारियों को फील्ड में अधिक से अधिक निरीक्षण करने और किसानों की समस्याओं से रूबरू होने के निर्देश दिए। साथ ही, निर्देश दिए की मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए ऑनलाईन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएं। रात्रि विश्राम, दौरे, निरीक्षण आदि के प्रति गंभीर रहने, संपर्क पोर्टल, सतर्कता शाखा एवं विभिन्न इकाइयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। सभी इकाइयों में शत-प्रतिशत कार्य ई-फाइलिंग के माध्यम से निष्पादन के भी निर्देश दिए।

अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त हरफूल सिंह यादव ने विभिन्न योजनाओं में प्रगति की वस्तुस्थिति प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। बैठक में तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियंता सिंचाई लखन लाल गुप्ता, अधीक्षण अभियंता बाईं मुख्य नहर हरेत लाल मीणा, भूमि विकास शिव लाल वर्मा, मुख्य लेखाधिकारी रोहित दीक्षित, सहायक निदेशक सीएडी कृष्ण मुरारी, परियोजना निदेशक शस्य अब्दुल खान, परियोजना निदेशक विस्तार जया मेहरा सहित विभिन्न इकाईयों के प्रभारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

हवन पूजा और प्रसादी कार्यक्रम का समापन आज

रामगंजमण्डी, (निसं)। स्थानीय अधिशाषी अभियंता जयपुर डिस्कॉम कार्यालय में निर्माणाधीन श्री शालिग्राम मंदिर का कार्य पूर्ण होने पर प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को आचार्य मनीष शर्मा व अभिषेक शास्त्री भवानीमंडी मय विद्वानों की टीम द्वारा विधिविधान से मंत्रोच्चार के साथ एक हजार कलश से महाभिषेक एवं यज्ञ आहुति कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

जिसमें अधिशाषी अभियंता विष्णुदत्त लोधा व राकेश कपूर सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी जयपुर डिस्कॉम द्वारा सपत्नीक महाभिषेक करके और यज्ञ आहुतियां देकर पुण्य लाभ अर्जित किया।

प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का सोमवार को शुभारंभ हुआ था। जिसका तीसरे व अंतिम दिन 26 फरवरी बुधवार को हवन पुजा और प्रसादी कार्यक्रम के साथ समापन होगा।

वांछित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। जवाहर नगर थानाधिकारी रामलक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि 15 फरवरी को बाल कल्याण समिति से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मामले में अनुसंधान करते हुए तकनीकी आधार व मुखबीर की सूचना पर टीम ने कार्यवाही करते हुए पोक्सो एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी सुरेश राठौर को गिरफ्तार किया।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/3267 विज्ञप्ति दिनांक:-7.2.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना पार्श्वनाथ रेजीडेन्सी विस्तार भूखंड संख्या ए-54 खसरा नं. 503/145, 520/144 आवेदक/आवेदिका श्री नरेन्द्र सुवालका पुत्र श्री चौथमल सुवालका एवं श्री कमलेश सुवालका पुत्र श्री चौथमल सुवालका निवासी 2-ए-102 गली नं. 1 रोडवेज वर्कशॉप डिपो के पीछे बालापुरा कुन्हाड़ी कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 27 दिनांक 12.04.2017 को मैसर्स पार्श्वनाथ एसोसिएट्स जर्ये भागीदार प्रकाश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री रतन लाल जैन के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 को जर्ये मुख्तारआम श्री संजय शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार द्वारा आवेदकों के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री नरेन्द्र सुवालका पुत्र श्री चौथमल सुवालका एवं श्री कमलेश सुवालका पुत्र श्री चौथमल सुवालका के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण**

कार्यालय नगर पालिका कापरेन जिला बून्दी (राज.)

क्रमांक:-न.पा.का./2025/1871 दिनांक:-14.02.2025

आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अनिता पत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा जाति राव निवासी बसवाड़ा तह. इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.) द्वारा श्री बद्रीलाल आ. श्री रामकिशन बैरागी निवासी बलकासा हाल कापरेन का कृषि भूमि नियमन का पट्टा क्रमांक 115 दिनांक 6.2.2023 साईज 25x40=1000 वर्गफीट का रजिस्टर्ड शुदा खरीद किया गया है। जिसका स्वयं के नाम नामान्तरण करवाने हेतु पालिका में आवेदन प्रस्तुत किया है। जिनके संबंध में दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

अत: जिस किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति 7 दिवस में कार्यालय नगरपालिका में प्रस्तुत कर सकते है। अवधि पश्चात आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कापरेन

छबड़ा — **10 वर्ष से फरार चल रहे वारंटी पकड़ा**

छबड़ा (निसं)। 10 वर्ष से फरार स्थाई वारंटी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश खटाना ने बताया कि कमर मियां (46) पुत्र जफ्फर अहमद निवासी जोहरीपुरा के खिलाफ वारंटी के खिलाफ लूट, आर्म्स एक्ट, मारपीट के तहत वारन्ट जारी किया गया था।

जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए उनको अपना महल, बिजनेस बचाना था : पूनम पासवान

■ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान की सहप्रभारी पूनम पासवान ने कोटा शहर और देहात की बैठक ली

कोटा, (निसं)। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान की सहप्रभारी पूनम पासवान ने मंगलवार को सेवनवंडर रोड़ स्थिति सेवन डब्ल्यू होटल में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी द्वारा शहर कांग्रेस की आयोजित बैठक के स्नेह मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कोटा प्रभारी इंद्रराज सिंह गुर्जर भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान की सहप्रभारी पूनम पासवान ने कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर राजस्थान की सरकार के मंत्रियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व.गांधी के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की जिसके चलते कांग्रेस के विधायकों ने माफी मांगने की शालीनता के साथ बात रखी जिसपर 6 विधायकों को भाजपा की सरकार ने निलंबित कर गया यह कहां का न्याय है गलती और सीनाजोरी। उन्होंने कहा कि तानाशाही से देश को कहां ले जाना चाहते है। उन्होंने कहा कि हम बूथ लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करेंगे और उसकी समीक्षा भी करेंगे उन्होंने सभी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि कार्यकर्ता जी-जान से मेहनत कर पार्टी को मजबूत करने का आव्हान किया।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद त्यागी ने कहा कि मोदीजी तरह राज्य सरकार भी तानाशाही हो गयी है। इंद्रराज सिंह गुर्जर ने कहा कि जिला कार्यकारिणी में कुछ कार्यकता रह गए है जब भी विस्तार होंगा उनको शामिल करने के लिए पीसीसी अध्यक्ष के समक्ष बात रखेंगे। लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जमीनी हकीकत जाननी होंगी वार्ड, बूथ स्तर को मजबूत करना होगा।

कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव डॉ.विजय सोनी ने बताया कि कांग्रेस कमेटी की बैठक व स्नेह मिलन कार्यक्रम को प्रमुख रूप से विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा, पूर्व विधायक पूनम गोयल, महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष पीसीसी महासचिव राखी गौतम, पीसीसी महासचिव अमित धारीवाल, पीसीसी सचिव अर्चना सुराना, उपमहापौर पवन मीणा,शोनू कुरैशी, पीसीसी महासचिव अनूप ठाकुर, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष आबिद कागजी, पीसीसी सदस्य क्रांति तिवारी, शिवराज गुंजल, राजकुमार बोयत ने संबोधित किया।

संचालन महामंत्री रामेश्वर सुवालका ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापित सं महामंत्री राधेश्याम वर्मा ने किया। वहीं कांग्रेस कार्यालय गुमानपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव व राजस्थान सह प्रभारी पूनम पासवान व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव कोटा देहात प्रभारी देशराज मीणा के मुख्यातिथ्य में कोटा देहात की मीटिंग कोटा देहात जिलाध्यक्ष भानुप्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग को प्रदेश महासचिव देशराज मीणा, सचिव संदीप पुरोहित, पूर्व सांसद रामनारायण मीणा, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल,नाईमुद्दीन गुड्डू, रामगंजमंडी प्रत्याशी महेंद्र राजोरिया, आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पीसीसी सचिव मंजूर तंवर ने किया।

मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रहलाद गुंजल ने कहा कि बीजेपी की पर्ची सरकार निर्दोष लोगों को डरा, धमका रही है इसके लिए हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस पर्ची सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी की ईट से ईट बजा देंगे। प्रभारी पूनम पासवान ने कहा की जो भी लोग कांग्रेस छोड़कर गए हर उनको अपना महल, बिजनेस आदि बचाना था केवल एक राहुल गांधी है जिनको ये बीजेपी डरा नहीं सकती है। बूथ से ही सदन का रास्ता निकलता है इसलिए बूथ मजबूत करने पर जोर देना होगा। जो संगठन में कार्य नहीं कर रहा उनको हटा कर नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा।

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

email :nnkota@gmail.com, websites : www.kotamc.org

क्रमांक :– ननिको(उ)/राजस्व/2025/14622–33 दिनांक: 21/02/25

पुन: ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा उत्तर सीमा क्षेत्र में वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु कार्य आदेश दिनांक से 1 वर्ष के लिए समय-समय पर अपेक्षित नगर निगम कोटा उत्तर में टेन्ट हाउस संबंधित सामान किराये पर लेने, लगाने एवं बिछायत के कार्य के लिये इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-निविदा पद्धति से निम्नानुसार ऑनलाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती है। आवेदक निविदा प्रपत्र http://sppp.raj.nic.in, https://eproc.rajasthan.gov.in तथा www.kotamc.org से प्राप्त कर सकेगें।

NIB NO. –DLB 2425A5836

UBN NO. –DLB 2425GLOB18

उपायुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

राज.संवाद/सी/24/12254

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक : 4601 **जाहिर आम सूचना** दिनांक : 25.02.2025

आवास संख्या 5-एल-1 महावीर नगर तृतीय, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री हरिराज शर्मा पुत्र श्री मधुसुदन शर्मा को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री हरिराज शर्मा पुत्र श्री मधुसुदन शर्मा द्वारा दिनांक 11.06.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री हरिराज शर्मा पुत्र श्री मधुसुदन शर्मा की मृत्यु दिनांक 03.07.2012 को हो चुकी है। श्री हरिराज शर्मा पुत्र श्री मधुसुदन शर्मा द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 29.06.2012 को अपनी पत्नी श्रीमती नीरु शर्मा के पक्ष में आलेखित की गई। श्रीमती नीरु शर्मा पत्नी श्री हरिराज शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 5-एल-1 महावीर नगर तृतीय, कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्रीमती नीरु शर्मा पत्नी श्री हरिराज शर्मा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती नीरु शर्मा पत्नी श्री हरिराज शर्मा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती नीरु शर्मा पत्नी श्री हरिराज शर्मा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको-द./उपायुक्त जोन द्वितीय/भ.नि.अनु./2025/17943-44 दिनांक: 25.2.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शिव राम पुत्र स्व. श्री मोडू लाल निवासी आवास संख्या 9/27 प्रियदर्शनी स्कूल के सामने गोविन्द नगर वार्ड 33 इंडस्ट्रियल एस्टेट कोटा दक्षिण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 9/27 गोविन्द नगर कोटा क्षेत्रफल 630 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के पक्ष में नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। आवास संख्या 9/27 गोविन्द नगर कोटा क्षेत्रफल 630 वर्गफुट का स्वामित्व कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के पट्टा क्रमांक 1278 दिनांक 01.03.1974 से श्री मोडू लाल पुत्र श्री रघुनाथ मीणा को जारी किया गया है। श्री मोडू लाल की मृत्यु दिनांक 02.04.2009 को हो जाने के उपरांत उनके जीवित विधिक वारिसान श्री शिव राम पुत्र स्व. श्री मोडू लाल के पक्ष में विधिक वारिसान घोषणा पत्र के आधार पर आवास संख्या 9/27 गोविन्द नगर कोटा क्षेत्रफल 630 वर्गफुट का स्वामित्व नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में आवास संख्या 9/27 गोविन्द नगर कोटा आवासीय का जिसका क्षेत्रफल 630 वर्गफुट के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4580 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 24.2.25

आवास संख्या 6-एस-14 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री बजरंगलाल पुत्र श्री गोरधनलाल को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री बजरंगलाल पुत्र श्री गोरधनलाल की मृत्यु दिनांक 05.09.2020 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री जगदीश नामा पुत्र स्व. श्री बजरंगलाल, श्री महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री बजरंगलाल, श्रीमती संतोष नामा पुत्री स्व. श्री बजरंगलाल पत्नी श्री शम्भूदयाल नामा एवं श्रीमती सुरजा बाई पत्नी स्व. श्री बजरंगलाल द्वारा उक्त आवास में निहित अपने हिस्से का त्याग जरिये घोषणा पत्र आलेखित कर दिनांक 31.07.2024 को श्री लीलाधर पुत्र स्व. श्री बजरंगलाल नामा के पक्ष में किया गया। श्री लीलाधर पुत्र स्व. श्री बजरंगलाल नामा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 6-एस-14 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को मृत्यु प्रकरण में नाम हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री लीलाधर पुत्र स्व. श्री बजरंगलाल नामा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री लीलाधर पुत्र स्व. श्री बजरंगलाल नामा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री लीलाधर पुत्र स्व. श्री बजरंगलाल नामा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा